न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 207/2018

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
मांगूदान पुत्र जेठूदान चारण निवासी–सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 09/2017 अनवान मांगूदान बनाम राज0 सरकार में दिनांक 31.01.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री उम्मेदसिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 15 जुलाई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रथम राजस्व अपील संख्या 09/2017 अनवान मांगूदान बनाम राज0 सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांगड के नामा0 संख्या 1075 जो अपीलान्ट के पक्ष में सहायक कलेक्टर फतेहगढ के द्वारा पारित डिक्री निर्णय दिनांक 30.06.2016 की पालना में भरा जाकर पेश किया गया था, को ना0 तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा दिनांक 29.09.2016 को खारिज किया गया है उस आदेश को निरस्त किया जावें। अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 को अस्वीकार कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील दिनांक 14.11.2018 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु कथन किया अपीलान्ट को विधिक जानकारी नहीं होने से एवं अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं होने के कारण अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपील पेश करने में सदभाविक विलम्ब होने पर प्रकरण को मियाद बिन्दू पर तकनीकी आधार पर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निरस्त करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना ही उचित रहेगा। अतः अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी और जो देरी हुई वह सदभाविक है। अतः उक्त विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने उक्त मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध प्रकट किया और अस्वीकार करने का कथन किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फतेहगढ में वाद संख्या 20/2016 जेठूदान वगैराह बनाम राज0 सरकार अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2016 के अनुसार भरा जाकर पेश किया जिस पर भू0अ0निरीक्षक ने जॉच की अंकन सही है परन्तु दिनांक 28.9.16 पुनः जॉच की मौका अनुसार व कब्जा अनुसार विवादित है। नामा0 काबिल खारिज है, उक्त रिपोर्ट होने पर ना0 तहसीलदार के द्वारा उक्त नामा0 को दिनांक 29.9.2016 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को बिना कोई ठोस आधार के अस्वीकार कर दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर आये तथ्यों से भिन्न थे, क्योंकि विधि के सारभूत सिद्धान्तों की पूर्णतया अनदेखी की गई और किसी प्रकार की अपील में आपत्ति नहीं होते हुए भी अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है एवं विधिसंगत मत विवाद की विषयवस्तु पर नहीं दिया है जो निरस्त करने योग्य है। उक्त नामा0 में कुल 10 खसरान की रकबा 258.02 बीघा भूमि किस्म बजंड व बारानी बाबत निर्णय व डिक्री की पालना में भरा गया है। ऐसे में नामा0 की पालना निर्णय व डिक्री के अनुसार ही की जानी थी, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक के द्वारा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड के अंकन को सही व गलत का देखना था जिसकी भू0अ0निरीक्षक द्वारा पुनःश्च जॉच में मौका अनुसार व कब्जा अनुसार विवादित है और नामा0 काबिज खारिज है, अंकित कर दिया जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त जब तक सहायक कलेक्टर न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सक्षम प्राधिकारी के द्वारा खारिज नहीं की जाती तब तक उसकी पालना में भरा गया नामा0 कैसे खारिज किया जा सकता था, उक्त विधिक तथ्यों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मौका अनुसार जॉच करने का अधिकार पटवारी हल्का को होता है न कि भू0अ0निरीक्षक को, राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना कानूनी प्रावधानों के ही अपनी मनमर्जी से टिप्पणी कर नामा0 को काबिल खारिज होना बता दिया जो आदेश विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य था। अतः अपीलान्ट की इस द्वितीय अपील को स्वीकार किया जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर एवं ना0 तहसीलदार, फतेहगढ के द्वारा नामा0 संख्या 1075 को खारिज करने के आदेश को अपास्त किया जावें तथा अपीलान्ट के नाम से पुनः नामान्तरकरण भरने का आदेश पारित किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो.संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि सहायक कलेक्टर न्यायालय फतेहगढ के द्वारा वाद संख्या 20/16 में पारित निर्णय दिनांक 30.6.16 के द्वारा वादी मांगूदान को खातेदार घोषित किया गया था। जिस डिक्री अनुसार नामा0 संख्या 1075 दायर किया गया परन्तु उक्त निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध होने से व इससे राज्यहित प्रभावित होने से उक्त नामा0 खारिज कर दिया गया। उक्त पारित डिक्री निर्णय जो राज्य हित के विरूद्ध होने से जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर में अपील पेश करने हेतु डिक्री निर्णय को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा ना0 तहसीलदार फतेहगढ के नामा0 संख्या 1075 को खारिज करने के आदेश को बहाल रखा है वो पूर्णतया उचित है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया कि अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.6.2018 को विलम्ब से आवेदन किया जबकि उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। अपीलान्ट के द्वारा 05 माह बाद आवेदन कर दिनांक 3.8.2018 को प्रमाणित प्रति ली गई है, उसके बावजूद भी अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील निर्धारित मियाद अवधि 02 माह व्यतित होने के उपरान्त दिनांक 14.11.2018 को पेश की गई है। मियाद प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है जिससे उनके कथनों को सत्य माना जा सके तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जा सके।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपने निर्णय में अपीलाधीन नामा0 संख्या 1075 को दर्ज करने में राज0 लैण्ड रेवन्यू (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स के नियम 137, राज0 भू राजस्व अधिनियम, राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना इंगित किया है और ना0 तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन नामा0 को खारिज करने को उचित माना है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलेक्टर फतेहगढ के द्वारा वाद संख्या 20/16 में पारित निर्णय दिनांक 30.6.16 के द्वारा वादी मांगूदान को खातेदार घोषित किया गया, उक्त डिक्री निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध पारित होने से जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा उन निर्णयों के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील पेश किये जाने बाबत तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड से प्रकट होता है जिससे उक्त प्रकरण में विनिश्चय अन्तिम रूप से नहीं हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने ना0 तहसीलदार फतेहगढ के द्वारा नामा0 संख्या 1075 को मौका अनुसार व कब्जा अनुसार खारिज करने के आदेश को बहाल रखते हुए अपीलान्ट की प्रथम अपील को अस्वीकार की है वो पूर्णतया उचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई गुजांइश नहीं है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र रॉय में अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करनें एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 15 जुलाई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर